न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–233/06/67/09

उनवान

मन्दिर मूर्ति श्री सत्यनारायण जी महाराज बिराजमान वाके ग्राम खेजरोली जरिये पुजारी महावीर प्रसाद पुत्र मुरलीधर जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र मांगू जाति बागडा (मृतक दौराने दावा)

   1/1 मोहन लाल पुत्र स्व0 जगदीश

   1/2 भगवान सहाय पुत्र स्व0 जगदीश

   1/3 बाबूलाल पुत्र स्व0 जगदीश

   1/4 श्रीमति बिदामी देवी पत्नी स्व0 जगदीश

   समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

   1/5 सन्ती पुत्री स्व0 जगदीश पत्नी सुरजमल

   जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी जयसिंहपुरा पोस्ट गुवारडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

   1/6 कमली देवी पुत्री स्व0 जगदीश पत्नी साधूराम

   जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

   1/7 सुणी पुत्री स्व0 जगदीश पत्नी रामनारायण

   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

2. नाथू लाल पुत्र सुरजमल बागडा (मृतक दौराने दावा)

   2/1 कैलाश पुत्र स्व0 नाथू

   2/2 पूरण पुत्र स्व0 नाथू

   2/3 मूलचन्द पुत्र स्व0 नाथू

   2/4 अणची बेवा नाथू

   समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

   2/5 मुन्नी पुत्री स्व0 नाथू पत्नी सीताराम

   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी कालवाड़, जिला जयपुर।

   2/6 शारदा पुत्री स्व0 नाथू पत्नी श्यामलाल

   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी बिचपडी वाया जाहौता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

   2/7 राजू पुत्री स्व0 नाथू पत्नीं रामेश्वर

   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

3. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरजमल
4. कल्याण पुत्र सुरजमल

   समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा नं0-233/06/07/09
उनवान- मन्दिर मूर्ति सत्यनारायण बनाम कुलदीप वगैरह
निर्णय दिनांक-28.02.2019

वाद बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक :-28.02.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि मन्दिर मूर्ति श्री सत्यनारायण जी महाराज की ओर से हस्तगत वाद वादी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 4016, 4017, 4018, 4019 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली का पेश किया कि उक्त भूमियां पुराने समय से ही वादी मन्दिर मूर्ति की खातेदारी काश्त की भूमियां हैं, जिनमें होने वाले प्राकृतिक खेकज उत्पादन से मन्दिर मूर्ति की सेवा पूजा, भोग-प्रसाद व मन्दिर का रख-रखाव व मन्दिर की व्यवस्था होती है, वादी मन्दिर शाश्वत नाबालिक है, जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमियों पर अन्य व्यक्तियों से काश्त करवाई जाती है और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को उक्त भूमियाँ वादी मन्दिर द्वारा काश्त करने हेतु बंटायी पर बतायी हुई थी जो उत्पादन का हिस्सा वादी मन्दिर को दिया करते थे, लेकिन कुछ साल से प्रतिवादीगण ने भूमियाँ विवादग्रस्त उत्पादन से हिस्सा मन्दिर मूर्ति के लिये देना बन्द कर दिया और वादी मन्दिर के पुजारी ने उन्हें इस हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया और कहा कि हम मन्दिर हेतु कुछ भी नही देंगें, जिस पर वादी मन्दिर ने 2004-2005-2006 के आषाढ माह में वादी मन्दिर की भूमियों को छोडने हेतु कहा तो अन्त में दिनांक 11-6-2006 में जेठ माह की पूर्णिमा को प्रतिवादीगण को हस्तगत वाद में विवादग्रस्त भूमियों को खाली करने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण ने भूमि विवादग्रस्त को खाली करने से मना कर ऐलानियां धमकी दी कब्जा लाठी के जोर पर कायम रखेंगें और मन्दिर की ओर से कोई भी आयेगा तो उसकी हड्डी पसली तोड देंगें, इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 वादी मन्दिर की भूमियों पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है, वादी मूर्ति मन्दिर वादग्रस्त भूमियों का अभिलिखित (रिकोर्डेड) खातेदार काश्तकार है, जिसके द्वारा लगान चुकाया जाता है तथा प्रतिवादीगण वादी मन्दिर के हितों के विरूद्ध अतिक्रमी हैं, जिन्हें मन्दिर के हित में बेदखल किया जाना आवश्यक है, ताकि वादी मन्दिर शाश्वत नाबालिक (Perpetual Minor) की सम्पत्तियों की रक्षा व मन्दिर की सेवा-पूजा, रख-रखाव व सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके और प्रतिवादीगण को बेदखल कर इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4016, 4017, 4018, 4019 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बेदखल कर कब्जा वादग्रस्त भूमि का वादी को दिलवाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी मन्दिर की वादग्रस्त भूमि में ना तो अतिक्रमण करें, ना ही

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादी मन्दिर के उपयोग–उपभोग, उत्पादन करने में बाधा कारित करें, न ही उक्त कृत्य अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 की ओर से व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से पृथक–पृथक जवाब दावे इस आशय के प्रस्तुत किये गये कि उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काबिज काश्त रहे हैं तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त हैं, उक्त आराजीयात का लगान भी पूर्वजों के समय से ही प्रतिवादीगण ही राज्य सरकार को अदा करते आ रहे हैं तथा उक्त आराजीयत से होने वाली आय के एक हिस्से को पूर्व से ही वादी मन्दिर को देते रहे हैं तथा वर्तमान मे भी दे रहे हैं, ऐसे में वादी मन्दिर को हिस्सा नहीं देने वाली कथन वादी ने गलत अंकित किये हैं, प्रतिवादीगण विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी नही हैं बल्कि विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं, जिसका उल्लेख सम्वत् 2014–18 की गिरदावरीयों में होता रहा हैं, माननीय न्यायालय को वादग्रस्त आराजी का वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, कब्जे से सम्बन्धित सुनने का एकमात्र अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा राजस्थान सरकार लेण्ड होल्डर को पक्षकार नहीं बनाया गया है, वादी मन्दिर मूर्ति की ओर से उक्त वाद पत्र मन्दिर पुजारी महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिन्हे उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है, प्रतिवादीगण ही विवादग्रस्त आराजीयात के एकमात्र मालिक, स्वामी हैं, जिन्होने वादग्रस्त भूमि पर पुख्ता मकान बना रखें, पानी व विधुत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखे हैं, जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने से पूर्व कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जो वादी द्वारा नही दिया गया है, इन समस्त जवाब तथ्यों को देखते हुये वाद पत्र खारिज किया जाना आवश्यक है।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई:–

1. आया वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में अंकित विवादित आराजीयात वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूॅ में वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

2. आया वादी प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

3. आया वादी मन्दिर की ओर से महावीर प्रसाद द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जिन्हे इसका अधिकार नही होने के कारण दावा खारिज करने योग्य है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूॅ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

4. आया राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार को पक्षकार न बनाने से दावा खारिज करने योग्य है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया प्रतिवादीगण के 50 वर्ष से विवादित आराजीयात पर कब्जा पुख्ता मकानात हैं ओर एक नियमित भाग (उपज का) प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दिया जा रहा है। प्रतिवादी के विरूद्ध पेश दावा झूँठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने योग्य है।

–जिम्मे प्रतिवादीगण

6. अन्य दादरसी।

हस्तगत प्रकरण में वादी की ओर से मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी मन्दिर एक शाश्वत अवयस्क हैं, जिसकी अभिलिखित खातेदारी काश्त की विवादग्रस्त भूमियां खसरा नम्बर 4016, 4017, 4018, 4019 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली ग्राम खेजरोली में स्थित हैं और वादग्रस्त भूमियां वादी मन्दिर की ओर से बा–जोत हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को बंटायी पर बतायी थी, प्रतिवादीगण का उपज का हिस्सा वादी मन्दिर को दिया करते थें, जिनके द्वारा पिछले तीन साल से हिस्सा देना बन्द कर दिया हैं, प्रतिवादीगण की हैसियत वादग्रस्त भूमि में अतिक्रमी मात्र हैं, जो वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा रखकर, हरे पेड़ो को काट रहे हैं, निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे हैं एवं भूमि की उपयोगिता कम कर वादी मन्दिर के स्वत्व को ही इंकार कर रहे हैं, यहां यह तथ्य भी बहस में निवेदन करना आवश्यक है कि माननीय न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद पत्र के सलंग्न रिसिवर प्रार्थना पत्र संख्या 216 / 66 / 08 उनवानी मन्दिर मूर्ति सत्यनारायण बनाम जगदीश में दिनांक 29–3–2010 को वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार महोदय चौमूँ को रिसिवर नियुक्त कर विवादित भूमि को कुर्क कब्जे राज मे लेने के आदेश पारित कर कुर्क शुदा भूमि की काश्त करवाने के आदेश पारित किये थे, जिस सम्बन्ध में तहसीलदार महोदय चौमूँ द्वारा दिनांक 13–5–2010 को फर्द कुर्की कार्यवाही कर नक्शा तैयार किया गया था।

वादी के जिम्मे रहे विवाधकों को साबित करने के लिये वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्भा 1 विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी, लगान की रसीदे प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 प्रस्तुत की गई हैं, प्रदर्श 1 जमाबन्दी में वादी अभिलिखित खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा मौखिक साक्ष्य में तीन गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी मन्दिर के नाम अंकित होना और वादी मन्दिर की ओर से वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को काश्त करने हेतु बंटायी पर देना और तीन साल से प्रतिवादीगण द्वारा उत्पादन में से हिस्सा वादी मन्दिर को देना बन्द कर देना आदि–आदि साक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहीं हैं और वादी मन्दिर की ओर से वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

भूमि का लगान भी चुकाया जाना और लगान की रसीदे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया हैं, तीनो गवाहो ने अपनी मुख्य परीक्षा में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, उनसे यह तथ्य भी बखूबी साबित हैं कि वादी मन्दिर की ओर से पुजारी द्वारा उत्पादन का हिस्सा मांगने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने और पुजारी द्वारा सन् 2004–05 के आशाढ़ के महिने में कहने पर दिनांक 11–6–2006 को जेठ की पूर्णिमा को प्रतिवादीगण ने कब्जा खाली करने से मना करने की धमकी दी हैं आदि साक्ष्य प्रस्तुत की हैं, प्रतिवादीगण ने वादी मन्दिर के हितो के खिलाफ जबरन कब्जा कर रखा हैं, जो अतिक्रमी हैं, जिन्हे बेदखल किया जाकर आर्थिक दण्ड लगाने की मांग करते हुये साक्ष्य प्रस्तुत कर वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावा हर्जा–खर्चा के डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, उक्त वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नही किया गया हैं, न ही वादी मन्दिर की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से कोई जिरह की गई हैं प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है, वादी मन्दिर की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पी.डब्लू 1 लगायत पी.डब्लू 3 अखण्डित रही हैं, ऐसे में वादी मन्दिर की ओर से प्रस्तुत दावे में वर्णित अभिवचनों सें तनकी संख्या 1 लगायत 2 जो वादी के जिम्मे हैं, को वादी द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के समर्थन में किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई हैं, न ही प्रतिवादीगण के जिम्मे रही तनकीयात 3 लगायत 5 के समर्थन में किसी प्रकार की कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

यह कि कानून की दृष्टि में मन्दिर शाश्वत नाबालिक होता है तथा उसकी भूमियों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है तो वो मन्दिर के द्वारा ही काश्त मानी जाती हैं, मन्दिर शाश्वत नाबालिक के विरूद्ध कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) की प्रतिरक्षा कानूनन पोषणीय नही है।

यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के खण्ड 25 के परन्तुक के अनुसार वैयक्तिक रूप से जोती गई भूमि में अवयस्क की भूमि पर काश्त वैयक्तिक रूप से जोतने में छूट दी गई है अर्थात मन्दिर देवता की भूमि को अन्य व्यक्ति द्वारा जोती जाने पर भी व मन्दिर मूर्ति द्वारा जोती गई भूमि मानी जावेगी जैसा कि 1984 आर.आर.डी. पेज 1 में माननीय उच्च न्यायालय अपना मत प्रतिपादित किंया हैं तथा धारा 46 (1) (ए) के अनुसार मन्दिर मूर्ति आश्वत नाबालिक हैं, मन्दिर की भूमि पर यदि कोई काश्त करता हैं तो मन्दिर का सर्वेन्ट, नौकर की हैसियत से काश्त करता है तथा जैसाकि 2011 आर.आर.टी. पेज 455 में तथा पुजारी द्वारा फाईल किया गया वाद मूर्ति द्वारा फाईल किया हुआ समझा जावेगा जो उस मूर्ति के निकट मित्र के रूप में है, हस्तगत वाद में भी पुजारी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि 1973 आर.आर.डी. पेज 727, 1975 आर.आर.डी. पेज 371, 1994

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आर.आर.डी पेज 1, 2003 आर.आर.डी. पेज 513 तथा सिविल अपील 12624 पृथ्वीलाल बनाम राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 29–1–2004 के निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उपरोक्त सभी न्यायिक विनिश्चयो में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मन्दिर शाश्वत नाबालिक होता है तथा उसकी भूमियों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है, तो वो मन्दिर की ओर से काश्त किया जाना ही माना जावेगा, किसी व्यक्ति द्वारा मन्दिर की भूमियों पर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा कर लेने पर उसको न्यायालय द्वारा बेदखल किया जाकर मन्दिर को कब्जा वापस दिलवाया जाना न्यायहित में हैं जो सम्पूर्ण न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत वाद पर बखूबी चस्पा होते हैं, जिसके विपरीत किसी भी प्रकार का कोई कानून या साक्ष्य प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नही करने से एवं वादी का वाद बखूबी साबित होने से वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि पर श्रीमान् द्वारा नियुक्त रिसिवर को बागुजास्त किया जाकर काश्त हेतु रिसिवर द्वारा जमा की गई राशि को वादी मन्दिर को दिलवाया जाकर खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाये जाने के आदेश फरमावें।

वादी की ओर से की गई मौखिक व लिखित बहस का मनन किया गया पत्रावली व रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, तनकी संख्या 1 व 2 एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा हैं, तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने के लिये वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी, लगान की रसीदे प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 प्रस्तुत की गई है, प्रदर्श 1 जमाबन्दी में वादी अभिलिखित खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मौखिक साक्ष्य में तीन गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी मन्दिर के नाम अंकित होना और वादी मन्दिर की ओर से वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को काश्त करने हेतु बंटायी पर देना और तीन साल से प्रतिवादीगण द्वारा उत्पादन में से हिस्सा वादी मन्दिर को देना बन्द कर देना आदि–आदि साक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहीं है और वादी मन्दिर की ओर से वादग्रस्त भूमि का लगान भी चुकाया जाना और लगान की रसीदें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अपनी मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है, तीनो गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, उनसे यह तथ्य भी बखूबी साबित हैं कि वादी मन्दिर की ओर से पुजारी द्वारा उत्पादन का हिस्सा मांगने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने और पुजारी द्वारा सन् 2004–05 के आशाढ़ के महीने में कहने पर दिनांक 11–6–2006 को जेंठ की पूर्णिमा को प्रतिवादीगण ने कब्जा खाली करने से मना करने की धमकी दी हैं आदि साक्ष्य प्रस्तुत की है, प्रतिवादीगण ने वादी मन्दिर के हितो के खिलाफ जबरन कब्जा कर रखा है, जो अतिक्रमी हैं, जिन्हे बेदखल किया जाकर आर्थिक दण्ड लगाने की मांग करते हुये साक्ष्य प्रस्तुत कर वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावा हर्जा–खर्चा के डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, उक्त

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई खण्डन प्रतिवादीगण की ओर से नहीं किया गया है, न ही वादी मन्दिर की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से कोई जिरह की गई है, प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है, वादी मन्दिर की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पी.डब्लू 1 लगायत पी.डब्लू 3 अखण्डित रही है, ऐसे में तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 को साबित करने के लिये वादी ने अपने आपको मौखिक साक्ष्य में परिक्षित करवाया तथा अन्य दो स्वतंत्र गवाह पी.डब्लू 2 व 3 ने भी वादी मन्दिर में पुजारी महावीर प्रसाद द्वारा पूजा अर्चना, देखभाल करना अपनी साक्ष्य में कहा है तथा प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में भी महावीर प्रसाद द्वारा वादी मन्दिर की पूजा अर्चना, देखभाल, सेवा–पूजा करना स्वीकार किया है, उक्त साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की हैं, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मन्दिर सत्यानारायण महाराज शाश्वत नाबालिक हैं, जिसकी ओर से पुजारी महावीर प्रसाद द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, जो वाद पत्र वादी मन्दिर के हक अधिकारो के लिये प्रस्तुत किया गया है, ऐसे में तनकी नम्बर 3 भी वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे था, जिस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई हैं, फिर भी यहां विवेचन किया जाना आवश्यक है कि वाद पत्र मन्दिर शाश्वत नाबालिग की ओर से मन्दिर की वादग्रस्त भूमियों के बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार नही हैं, प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य जाहिर नहीं किया, बिना राजस्थान सरकार के पक्षकार होने से दावा किसी प्रकार खारिज योग्य हैं, ऐसे में उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई हैं, अपितु वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी, लगान की रसीदे प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 प्रस्तुत की गई हैं, प्रदर्श 1 जमाबन्दी में वादी अभिलिखित खातेदार काश्तकार दर्ज हैं तथा मौखिक साक्ष्य में तीन गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी मन्दिर के नाम अंकित होना और वादी मन्दिर की ओर से वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को काश्त करने हेतु बंटायी पर देना और तीन साल से प्रतिवादीगण द्वारा उत्पादन में से हिस्सा वादी मन्दिर को देना बन्द कर देना आदि–आदि साक्ष्य अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहीं हैं, यह

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

विवेचन करना आवश्यक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के खण्ड 25 के परन्तुक के अनुसार वैयस्क्ति रूप से जोती गई भूमि में अवयस्क की भूमि पर काश्त वैयक्तिक रूप से जोतने में छूट दी गई हैं अर्थात मन्दिर देवता की भूमि को अन्य व्यक्ति द्वारा जोती जाने पर भी व मन्दिर मूर्ति द्वारा जोती गई भूमि मानी जावेगी जैसाकि 1984 आर.आर.डी. पेज 1 में माननीय उच्च न्यायालय अपना मत प्रतिपादित किया हैं तथा धारा 46 (1) (ए) के अनुसार मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिक हैं, मन्दिर की भूमि पर यदि कोई काश्त करता है तो मन्दिर का सर्वेन्ट, नौकर की हैसियत से काश्त करता है तथा जैसाकि 2011 आर.आर.टी. पेज 455 में तथा पुजारी द्वारा फाईल किया गया वाद मूर्ति द्वारा फाईल किया हुआ समझा जावेगा जो उस मूर्ति के निकट मित्र के रूप में है, हस्तगत वाद में भी पुजारी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, जैसाकि 1973 आर.आर.डी. पेज 727, 1975 आर.आर.डी. पेज 371, 1994 आर.आर.डी पेज 1, 2003 आर.आर.डी. पेज 513 तथा सिविल अपील 12624 पृथ्वीलाल बनाम राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 29–1–2004 के निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, ऐसे में तनकी सख्या 5 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में निर्णित की जाकर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4016, 4017, 4018, 4019 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर को बागुजास्त की जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा भौतिक वादी को दिलाया जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें तथा वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार चौमूँ को रिसिवर बागुजास्त की जाकर रिसिवर द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि वादी को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल–I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–233/06/67/09

उनवान

मन्दिर मूर्ति श्री सत्यनारायण जी महाराज बिराजमान वाके ग्राम खेजरोली जरिये पुजारी महावीर प्रसाद पुत्र मुरलीधर जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र मांगू जाति बागडा (मृतक दौराने दावा)
   1/1 मोहन लाल पुत्र स्व0 जगदीश
   1/2 भगवान सहाय पुत्र स्व0 जगदीश
   1/3 बाबूलाल पुत्र स्व0 जगदीश
   1/4 श्रीमति बिदामी देवी पत्नी स्व0 जगदीश
   समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
   1/5 सन्ती पुत्री स्व0 जगदीश पत्नी सुरजमल
   जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी जयसिंहपुरा पोस्ट गुवारडी, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
   1/6 कमली देवी पुत्री स्व0 जगदीश पत्नी साधूराम
   जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
   1/7 सुणी पुत्री स्व0 जगदीश पत्नी रामनारायण
   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. नाथू लाल पुत्र सुरजमल बागडा (मृतक दौराने दावा)
   2/1 कैलाश पुत्र स्व0 नाथू
   2/2 पूरण पुत्र स्व0 नाथू
   2/3 मूलचन्द पुत्र स्व0 नाथू
   2/4 अणची बेवा नाथू
   समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
   2/5 मुन्नी पुत्री स्व0 नाथू पत्नी सीताराम
   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी कालवाड़, जिला जयपुर।
   2/6 शारदा पुत्री स्व0 नाथू पत्नी श्यामलाल
   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी बिचपडी वाया जाहौता, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   2/7 राजू पुत्री स्व0 नाथू पत्नी रामेश्वर
   जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र सुरजमल
4. कल्याण पुत्र सुरजमल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–233 / 06 / 67 / 09
उनवान– मंदिर मूर्ति सत्यनारायण बनाम जगदीश वगै0
निर्णय दिनांक–28.02.2019

वाद बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 4016, 4017, 4018, 4019 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.33 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर को बागुजास्त की जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा भौतिक वादी को दिलाया जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषैधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि के वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें तथा वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार चौमूँ को रिसिवर बागुजास्त की जाकर रिसिवर द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि वादी को दिये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.02.2019 को जारी किया गया।

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर

मोहर

ओहदा...चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner